2012:सीजीएचसी:8872-डीबी

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय न्यायाधीश श्री राधे श्याम शर्मा ।

दण्डिक अपील क्रमांक 925 / 2007

परदेशी पहेरिया

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु विचारार्थ प्रस्तुत

सही /-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा

मैं सहमत हूँ

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

दिनांक **27.04.2012** को निर्णय सुनाए जाने हेतु सुचिबद्ध करें ।

सही /-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

2012:सीजीएचसी:8872-डीबी

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा और

माननीय न्यायाधीश श्री राधे श्याम शर्मा ।

दण्डिक अपील क्रमांक 925 / 2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी : परदेशी पहेरिया, पिता बलीराम पहेरिया, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बांसपारा कुकरेल, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ ।

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थित :

अपीलार्थी की ओर से : श्री विश्वनाथ गोस्वामी, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से : श्री डी. के. ग्वालरे, शासकीय अधिवक्ता ।

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **374 (2)** के तहत दण्डिक अपील)

निर्णय

(आज दिनांक 27.04.2012 को उदघोषित किया गया)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायाधीश राधे श्याम शर्मा द्वारा पारित किया गया ।

1. यह अपील सत्र खंड धमतरी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 25 / 2006 में दिनांक 17.08.2007 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । उक्त निर्णय में, अभियुक्त / अपीलार्थी परदेशी पहेरिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास तथा 1000 रुपये का जुर्माना भुगतान करने का आदेश दिया गया है, जुर्माना का भुगतान करने में व्यतिक्रम किए जाने पर 4 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा ।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार है :-

मृतक सखीनबाई अपीलार्थी की पत्नी थीं । तुलाराम पहेरिया (अ.सा. - 1) उनका पुत्र है । दिनांक 28.03.2006 की सुबह, मृतक सखीनबाई तुलाराम पहेरिया (अ.सा. - 1) के घर चाय पीने नहीं गईं, जबकि वह प्रतिदिन वहाँ जाती थीं । इस पर तुलाराम पहेरिया (अ.सा. - 1) उन्हें देखने उनके घर गए । उन्होंने देखा कि मृतक अपने घर के एक कमरे में मृत पड़ी थीं, उनके बाएं कनपटी क्षेत्र से खून बह रहा था और पूरे कमरे में फैल गया था, और अपीलार्थी दूसरे कमरे में बड़बड़ा रहा था । उसने गांव वालों फुलुराम, जयसिंह, मोहन, पुनाऊ आदि को सूचना दी और उन्हें बुलाया । गांव वाले आए और घटनास्थल पर मृतक का शव देखा । अपीलार्थी घर पर मौजूद था और बड़बड़ा रहा था । तुलाराम पहेरिया (अ.सा. - 1) द्वारा सूचना दिए जाने पर, सब-इंस्पेक्टर अनूप नाग (अ.सा. - 15) ने देहाती मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-1) दर्ज की । तुलाराम पहेरिया (अ.सा. - 1) ने प्राथमिकी (प्रदर्श पी-18) दर्ज कराई । विवेचना अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचा, पंचों को नोटिस (प्रदर्श पी-2) दिया और मृतक के शव का मृत्युसमीक्षा (प्रदर्श पी-3) तैयार किया । शव को मृत्युसमीक्षा (प्रदर्श पी-13) के लिए धमतरी स्थित शास्किय अस्पताल भेजा गया । डॉ. आर. के. त्रिपाठी (अ.सा. - 17) ने मृतक के शव का मृत्युसमीक्षा किया और अपना प्रतिवेदन किया (प्रदर्श पी-13), जिसमें उन्होंने पाया कि :-

i.) गर्दन और चेहरे के दाहिनी ओर 4 इंच * 2 और 1/2 इंच की हड्डी तक गहरी कटा हुआ घाव;

ii.) चेहरे के बाईं ओर 3 और 1/2 इंच * 3 इंच का खरोंच;

iii.) बाईं कोहनी पर 1 और 1/2 इंच * 3/4 इंच का खरोंच;

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

iv.) बाएं कंधे के पिछले हिस्से पर 2 और 1/2 इंच * 1 इंच का खरोंच ।

चोट संख्या (i) को खोलने पर, उसने पाया कि गर्दन की हड्डी में कई फ्रैक्चर थे और मुख्य रक्त वाहिकाएं कटी हुई थीं । उन्होंने राय दी कि मृतक की मृत्यु का कारण गर्दन की हड्डी में चोट, गर्दन की हड्डी में फ्रैक्चर और रक्तस्राव था ।

आगे की विवेचना में, घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-4) तैयार किया गया । मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-17) दर्ज की गई । घटनास्थल से सादी मिट्टी और खून से सनी मिट्टी जब्त की गई (प्रदर्श पी-6) । आंगन में पड़ी खून से सनी लोहे की कुल्हाड़ी जब्त की गई (प्रदर्श पी-7) । अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया (प्रदर्श पी-21) । जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए रायपुर स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया (प्रदर्श पी-22 और पी-23) । वहां से प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-24) प्राप्त हुई ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अन्वेषण पूरी होने के बाद, अपीलार्थी के खिलाफ धमतरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में अभियोगपत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को रायपुर के सत्र न्यायालय को उपार्पित कर , जहां से यह स्थानांतरण पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी, सत्र खंड धमतरी को प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण किया और अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई ।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वनाथ गोस्वामी ने तर्क दिया कि न्यायालय के बाहर दिए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दिया गया दोषसिद्धि का निर्णय अनुचित है । अपीलार्थी द्वारा दिया गया न्यायालय के बाहर का न्यायिकेतर संस्वीकृति विश्वसनीय नहीं है । उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह सर्वविदित है कि प्रबल संदेह प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता । इसलिए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय टिकाऊ नहीं है और अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाना चाहिए ।

4. राज्य / प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री डी. के. ग्वालरे ने अक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा की

गई दोषसिद्धि और अधिरोपित दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

5. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की तर्कें विस्तार से सुनी और सत्र प्रकरण क्रमांक 25 / 2006 के अभिलेख का अध्ययन किया है । यह स्वीकार किया जाता है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है । मुख्य परिस्थितियाँ, जिनका विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने विचार में लिया है, इस प्रकार हैं :-

i.) यह घर में हुई हत्या है, जहाँ मृतक और अपीलार्थी एक साथ रह रहे थे ।

ii.) मृतक और अपीलार्थी को आखिरी बार एक साथ देखा गया था ।

iii.) मृतक की हत्या के संबंध में अपीलार्थी का न्यायिकेतर संस्वीकृति ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. यह सर्वविदित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को सभी दोष सिद्ध करने वाली परिस्थितियों को विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्यों से सिद्ध करना होगा और जिन परिस्थितियों से दोष सिद्ध करने का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित करना होगा । यह भी सर्वविदित है कि संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता और न्यायालय को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर किसी आरोपी को दोषी ठहराने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए ।

7. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम बालक और अन्य (2008) 15 एससीसी 551 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है :

> "11. 9. इस न्यायालय द्वारा यह लगातार प्रतिपादित किया गया है कि जहां कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित होता है, वहां अपराध का निशकार्य तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी दोषी ठहराने वाले तथ्य और परिस्थितियां आरोपी की निर्दोषता या किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साथ असंगत पाई जाएं । (देखें हुकम सिंह बनाम राजस्थान राज्य, (1977) 2 एससीसी

99, एराडू बनाम हैदराबाद राज्य, एआईआर 1956 एससी 316, एराभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, (1983) 2 एससीसी 330, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुखबासी, 1985 सप्लीमेंट एससीसी 79, बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1987) 1 एससीसी 1 और अशोक कुमार चटर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1989 सप्लीमेंट (1) एससीसी 56) । जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के अपराध के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें उचित संदेह से परे सिद्ध किया जाना चाहिए और यह दिखाया जाना चाहिए कि वे उन परिस्थितियों से निकाले जाने वाले मुख्य तथ्य से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं । भगत राम बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1954 एससी 621 में यह प्रतिपादित किया गया था कि जहां मामला परिस्थितियों से निकाले गए निष्कर्ष पर निर्भर करता है, वहां परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि आरोपी की निर्दोषता को नकार दिया जाए और अपराध को किसी भी उचित संदेह से परे साबित कर दिया जाए ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. हम इस न्यायालय के सी. चेंगा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1996) 10 एससीसी 193 के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें इस प्रकार अवधारित किया गया है : (एससीसी पृष्ठ 206-07, पैरा 21)

"21. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, स्थापित विधि यह है कि जिन परिस्थितियों से दोष सिद्ध किया जाता है, वे पूरी तरह से सिद्ध होनी चाहिए और ऐसी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए । इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए । साथ ही, सिद्ध परिस्थितियाँ केवल आरोपी के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी निर्दोषता के बिल्कुल विपरीत होनी चाहिए ।"

8. पडला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, ए.आई.आर. 1990 एस सी 79 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है :

"10. .... इस न्यायालय ने कई निर्णयों में लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए :

(1.) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे ठोस और दृढ़ रूप से स्थापित होनी चाहिए;

(2.) वे परिस्थितियाँ निश्चित रूप से आरोपी के अपराध की ओर इंगित करती होनी चाहिए;

(3.) सभी परिस्थितियाँ, सामूहिक रूप से, एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए जिससे इस निष्कर्ष से बचा न जा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के अनुसार अपराध आरोपी द्वारा ही किया गया था, किसी और द्वारा नहीं; और

(4.) दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए और आरोपी के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होना चाहिए, और ऐसा साक्ष्य न केवल आरोपी के अपराध के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि उसकी निर्दोषता के विपरीत भी होना चाहिए । ...."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. रामरेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006) 10 एससीसी 172 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है :

"27. अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत तब लागू होता है जब आरोपी और मृतक को अंतिम बार जीवित देखे जाने और मृतक के मृत पाए जाने के बीच का समय अंतराल इतना कम हो कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध करने की संभावना नगण्य हो जाती है । ऐसे मामले में भी न्यायालयों को किसी न किसी प्रकार के प्रमाण की तलाश करनी चाहिए ।"

(देखें पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु बनाम जॉन डेविड (2011) 5 एससीसी 509 और

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश (2005) 3 एससीसी 114) ।

10. अब हम अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की परिक्षण करेंगे और यह देखेंगे कि क्या

अभियोजन पक्ष उपरोक्त सिद्धांतों के अनुरूप अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने में सफल रहा है।

11.जहां तक इस बात का सवाल है कि यह घर में हुई हत्या है और वह भी तब जब अपीलार्थी और मृतक एक साथ रह रहे थे, इस बात में कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी सखीनबाई (मृतक) अपीलार्थी के घर में एक साथ रह रहे थे । इस बात में भी कोई विवाद नहीं है कि मृतक की मृत्यु हत्या के कारण हुई थी ।

पक्षद्रोही साक्षी

12.इस मामले में, तुलाराम (अ.सा. - 1), पुनाउराम (अ.सा. - 2), कैलाश (अ.सा. - 3), कुमेश्वरी बैल (अ.सा. - 4), भुवनेश्वर मानिकपुरी (अ.सा. - 10), जयसिंह कमर (अ.सा. - 11), फुलुराम कमर (अ.सा. - 12) और सागर कमर (अ.सा. - 13) को पक्षद्रोही गवाह घोषित किया गया और अभियोजन पक्ष द्वारा उनसे प्रतिपरीक्षण किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13.परमजीत सिंह उर्फ पम्मा बनाम उत्तराखंड राज्य, ए.आई.आर. 2011 एस सी 200 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारित किया :

"17. यह तथ्य कि लोक अभियोजक के कहने पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया और उसे गवाह से प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति दी गई, गवाह के साक्ष्य को पूरी तरह से अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं देता है । हालांकि, न्यायालय को बहुत सावधानीस बरतनी होगी, क्योंकि प्रथम दृष्टया, जो गवाह अलग-अलग समय पर अलग-अलग बयान देता है, वह सत्य का सम्मान नहीं करता है । उसके साक्ष्य को समग्र रूप ससे पढ़ा और विचार किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे कोई महत्व दिया जाना चाहिए या नहीं । न्यायालय को ऐसे गवाह की अभिकथन पर जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए; सामान्यतः, उसे उसकी अभिकथन की पुष्टि के लिए साक्ष्य तलाशने चाहिए । (देखें: राजस्थान राज्य बनाम भवानी और अन्य, (2003) 7 एससीसी 291 : (ए.आई.आर. 2003 एससी 4230 : 2003 ए.आई.आर. एससीडब्ल्यू) 3953)) ।

18. इस न्यायालय ने राधा मोहन सिंह उर्फ लाल साहब और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2006) 2 एससीसी 450 : (एआईआर 2006 एससी 951 : 2006 एआईआर एससीडब्ल्यू 421) के मामले में निर्णय करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की (एआईआर, एआईआर एससीडब्ल्यू का कंडिका 7) :

".......यह सर्वविदित है कि किसी अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य को केवल इसलिए पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अभियोजन पक्ष ने उसे विरोधी मानकर उससे प्रतिपरीक्षण किया । ऐसे गवाह के साक्ष्य को अभिलेख से पूरी तरह से मिटाया या हटाया नहीं जा सकता, बल्कि उसके बयान की सावधानीपूर्वक जांच करने पर उसे उस हद तक स्वीकार किया जा सकता है, जिस हद तक वह विश्वसनीय पाया जाता है........"

20. राजेंद्र और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2009) 13 एससीसी 480 : (एआईआर 2009 एससी 2558 : 2009 एआईआर एससीडब्ल्यू 4459) में, इस न्यायालय ने अवधारित किया कि केवल इसलिए कि एक गवाह एफआईआर में दिए गए अपने बयान से विचलित होता है, उसके साक्ष्य को पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है ।

21. इस न्यायालय ने गोविंदप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, (2010) 6 एससीसी 533 : (2010 एआईआर एससीडब्ल्यू 3702) में इसी तरह के दृष्टिकोण को दोहराया, यह देखते हुए कि एक विरोधी गवाह के बयान पर कम से कम उस हद तक भरोसा किया जा सकता है जहां तक उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया हो ।

22. उपरोक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति का साक्ष्य मात्र इसलिए अभिलेख से मिट नहीं जाता क्योंकि वह पक्षद्रोही हो गया है और उसके बयान की अधिक सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि उसने अभियोजन पक्ष के मामले का किस हद तक समर्थन किया है ।"

14. मृणाल दास और अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य, एआईआर 2011 एससी 3753 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारित किया :

"42. .... यह स्थापित विधि है कि अपराध के संबंध में पक्षद्रोही गवाह के साक्ष्य का पुष्ट भाग स्वीकार्य है । यह तथ्य कि लोक अभियोजक के कहने पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

किया गया और उसे गवाह से प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति दी गई, गवाह के साक्ष्य को पूरी तरह से अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं देता है । हालांकि, न्यायालय को बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि प्रथम दृष्टया, जो गवाह अलग-अलग समय पर अलग-अलग बयान देता है, वह सत्य का सम्मान नहीं करता है । उसके साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ा और विचार किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे कोई महत्व दिया जाना चाहिए या नहीं । न्यायालय को ऐसे गवाह के अभिकथन पर कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सामान्यतः, उसे अन्य गवाहों से पुष्टि की तलाश करनी चाहिए । केवल इसलिए कि कोई गवाह प्राथमिकी में दिए गए अपने बयान से विचलित होता है, उसके साक्ष्य को पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है । यह स्पष्ट करने के लिए कि, पक्षद्रोही गवाह के साक्ष्य को कम से कम उस हद तक तो उस पर भरोसा किया जा सकता है, जिस हद तक उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया हो । किसी व्यक्ति का साक्ष्य मात्र इसलिए अभिलेख से मिट नहीं जाता क्योंकि वह पक्षद्रोही हो गया है, और उसके बयान की अधिक सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि उसने अभियोजन पक्ष के मामले का किस हद तक समर्थन किया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपरोक्त विधि के अनुसार, केवल उपरोक्त गवाहों को पक्षद्रोही घोषित किए जाने के कारण, उनके साक्ष्य को पूर्णतः खारिज नहीं किया जा सकता । उनके साक्ष्य पर कम से कम उस हद तक भरोसा किया जा सकता है जहाँ तक वे अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं ।

16. तुलाराम (अ.सा. - 1) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी उनके पिता हैं और मृतक उनकी माता थीं । उनके माता-पिता एक अलग घर में साथ रहते थे और वह अपनी पत्नी के साथ एक अलग घर में रहते थे । उनकी माता प्रतिदिन सुबह 6 बजे तक उनके घर चाय पीने आती थीं । उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब उनकी माता सुबह 6 बजे तक उनके घर नहीं आईं, तो वह अपने माता-पिता के घर गए । उन्होंने वहां देखा कि उनकी माता खून से लथपथ पड़ी थीं । रोते हुए वह वापस आए और गांव वालों को बताया कि उनकी माता खून से लथपथ पड़ी हैं । उन्होंने गांव वालों को साथ ले जाकर अपनी माता को दिखाया । उस समय उनके पिता एक कमरे में बड़बड़ा रहे थे । कैलाश, पुनाउराम, राजेंद्र, फुलुराम और जयसिंह आदि गांव वाले उनके माता-पिता के घर आए हुए थे । उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि यह सच

है कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन से 4-5 दिन पहले, उन्होंने और उनके पिता (अपीलार्थी) ने उनकी मां (मृतक) को अपीलार्थी के साथ बड़े घर में रहने के लिए राजी कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मां अपीलार्थी के घर में उनके साथ रह रही थीं ।

17. कुमेश्वरी बाई (अ.सा. - 4) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक उनकी सास थीं और अपीलार्थी उनके ससुर थे । मृतक और अपीलार्थी एक अलग घर में साथ रहते थे । अपीलार्थी को मृतक के चरित्र पर संदेह था । इसी कारण मृतक लगभग एक वर्ष तक अपने मायके में रही थीं । दुर्भाग्यपूर्ण घटना से तीन महीने पहले, मृतक वापस आ गईं और अपीलार्थी के साथ रहने लगीं । उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना से चार-पाँच दिन पहले, अपीलार्थी को फिर से मृतक के चरित्र पर संदेह हुआ और इसी कारण मृतक उनके घर आई थीं । मृतक को समझाया गया और फिर से अपीलार्थी के घर भेज दिया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इंस्पेक्टर अनूप नाग (अ.सा. - 15) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-4) तैयार किया । उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने पंचों को नोटिस (प्रदर्श पी-2) दिया और मृतक के शव का मृत्युसमीक्षा (प्रदर्श पी-3) तैयार किया । उन्होंने मृतक के शव को मृत्युसमीक्षा के लिए धमतरी स्थित शास्किय अस्पताल भेजा (प्रदर्श पी-13) । प्रदर्श पी-4 घटनास्थल का नक्शा है, अर्थात् अपीलार्थी का घर । इसके अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मृतक का शव अपीलार्थी के घर के एक कमरे में पड़ा था । मृत्युसमीक्षा (प्रदर्श पी-3) में भी मृतक के शव का अपीलार्थी के घर में ही मिलना दर्शाया गया है ।

19. पुनाउराम (अ.सा. -2) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, तुलाराम (अ.सा. - 1) सुबह लगभग 6 बजे उनके घर आया और बताया कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या कर दी है । इसके बाद, वे अपीलार्थी के घर गए । जब पटेल ने अपीलार्थी से घटना के बारे में पूछा, तो अपीलार्थी ने पहले तो कहा कि उसे नहीं पता । दोबारा पूछे जाने पर, अपीलार्थी ने कहा कि उसने मृतक की हत्या कुल्हाड़ी से की है । कुल्हाड़ी मृतक के सिर के पास पड़ी थी । उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वे अपीलार्थी के घर गए, तो उन्होंने देखा कि

अपीलार्थी अपने घर के दूसरे कमरे में बैठा था और वहाँ से बड़बड़ा रहा था कि उसने मृतक की हत्या कुल्हाड़ी से की है । उन्होंने देखा कि कुल्हाड़ी उनके सामने पड़ी थी ।

20. जयसिंह कमर (अ.सा. - 11) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, सुबह के समय, तुलाराम (अ.सा. - 1) उनके घर आया और बताया कि मृतक की हत्या अपीलार्थी ने की है । वह घटनास्थल पर गया और देखा कि मृतक के शरीर से खून बह रहा था ।

21. सागर कमर (अ.सा. -13), जिसे अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही गवाह घोषित किया था, ने अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक उसके घर आई थी और बताया था कि अपीलार्थी उसके साथ मार पीट करता था । दुर्भाग्यपूर्ण दिन से चार महीने पहले, मृतक अपीलार्थी के साथ रह रही थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. सरस्वती बाई (अ.सा. - 18), जिन्हें अभियोजन पक्ष ने भी पक्षद्रोही गवाह घोषित किया था, ने अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक उनकी ननद (पति की बहन) थी । उन्होंने आगे गवाही दी कि जब मृतक उनके घर आई थी, तो उन्होंने बताया था कि अपीलार्थी उनके साथ मार पीट करता था ।

23. आशाराम (अ.सा. -19) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक ने उसे बताया था कि अपीलार्थी उसके साथ मार पीट करता था और उसके चरित्र पर संदेह करता था । अपीलार्थी उसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन से 4-5 महीने पहले अपने घर ले गया था ।

24. पुनाउराम (अ.सा. - 2), कैलाश (अ.सा. - 3), भुवनेश्वर मानिकपुरी (अ.सा. - 10) और जयसिंह कमर (अ.सा. - 11) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, तुलाराम (अ.सा. - 1) सुबह लगभग 6 बजे उनके घर आया और बताया कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या कर दी है । इसके बाद, वे अपीलार्थी के घर गए । उस समय अपीलार्थी अपने घर पर मौजूद था ।

25. उपरोक्त साक्ष्यों से स्पष्ट है कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपीलार्थी और मृतक अपीलार्थी के घर में एक साथ रह रहे थे। यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी और मृतक के

बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। यह स्पष्ट है कि मृतक का शव अपीलार्थी के घर में ही मिला था।

26. घटना दिनांक 27.03.2006 से दिनांक 28.03.2006 की मध्यरात्रि के बीच घटी। मृतका अपीलार्थी के घर में उसके साथ रह रही थी और दिनांक 28.03.2006 की सुबह अपीलार्थी के घर में ही उसका शव मिला। अतः यह स्पष्ट है कि मृतका को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ जीवित देखा गया था और उसके शरीर पर लगभग 4 चोटें थीं। घर में केवल दो व्यक्ति, अर्थात् अपीलार्थी और मृतका, उपस्थित थे। मृतका की मृत्यु गंभीर चोटों के कारण हुई।

27. गुर सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2001) 2 एससीसी 205 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारित किया :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"6. यह विधि की सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि न्यायालय के बाहर दिया गया न्यायिकेतर संस्वीकृति सत्य और स्वैच्छिक है, तो न्यायालय आरोपी को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए इस पर भरोसा कर सकता है। साक्ष्य के रूप में न्यायालय के बाहर दिए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति की अंतर्निहित कमजोरी के बावजूद, इसे तब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जब यह दिखाया जाए कि ऐसा न्यायिकेतर संस्वीकृति ऐसे व्यक्ति के समक्ष दिया गया था जिसके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था और जिसे यह बयान उन परिस्थितियों में दिया गया था जो बयान का समर्थन करती हैं। राव शिव बहादुर सिंह बनाम विंध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1954 एससी 322 के एक पूर्व निर्णय पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने मगर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1975) 4 एससीसी 234 में फिर से यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त द्वारा गवाहों को दिए गए न्यायालय के बाहर दिए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति को हमेशा दूषित साक्ष्य नहीं कहा जा सकता है। ऐसे साक्ष्य की पुष्टि केवल अत्यधिक सावधानी से ही आवश्यक है। यदि न्यायालय उस गवाह पर विश्वास करता है जिसके समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति दिया गया है और संतुष्ट है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति सत्य और स्वेच्छा से दिया गया था, तो केवल ऐसे साक्ष्य के आधार पर ही दोषसिद्धि की जा सकती है। नारायण सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1985)

4 सर्वोच्च न्यायालय 26 के मामले में, इस न्यायालय ने चेतावनी दी थी कि आपराधिक मामले की सुनवाई करने वाले न्यायालय के लिए यह उपधारणा कर लेना उचित नहीं है कि न्यायालय के बाहर दिया गया न्यायिकेतर संस्वीकृति हमेशा कमजोर साक्ष्य होता है । यह परिस्थितियों की प्रकृति, न्यायिकेतर संस्वीकृति दिए जाने के समय और ऐसे न्यायिकेतर संस्वीकृति देने वाले गवाहों की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा । न्यायालय के बाहर दिए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति का खंडन, जो आपराधिक मामलों में एक सामान्य घटना है, अपने आप में ऐसे न्यायिकेतर संस्वीकृति पर आधारित अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर नहीं करेगा । किशोर चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (1991) 1 एससीसी 286 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक स्पष्ट गैर-न्यायिक बयान में उच्च साक्ष्य मूल्य होता है क्योंकि यह अपराध करने वाले व्यक्ति से आता है और साक्ष्य में स्वीकार्य है बशर्ते कि यह किसी भी संदेह और झूठ के सुझाव से मुक्त हो । हालांकि, कथित न्यायिकेतर संस्वीकृति पर भरोसा करने से पहले, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह स्वेच्छा से दिया गया है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के तहत परिकल्पित प्रलोभन, धमकी या वादे का परिणाम नहीं है, या धारा 25 और 26 से बचने के लिए संदिग्ध परिस्थितियों में नहीं दिया गया है । न्यायालय को आसपास की परिस्थितियों की जांच करनी होगी ताकि यह पता चल सके कि क्या ऐसा न्यायिकेतर संस्वीकृति किसी अनुचित या अप्रत्यक्ष विचार या विधि के उल्लंघन से प्रेरित तो नहीं है, जिससे यह संदेह होता है कि यह सच नहीं है । सभी सुसंगत परिस्थितियों, जैसे कि वह व्यक्ति जिससे न्यायिकेतर संस्वीकृति दिया गया है, बयान देने का समय और स्थान, और वे परिस्थितियाँ जिनमें बयान दिया गया, की गहन जांच करनी होगी । बलदेव राज बनाम हरियाणा राज्य, 1991 अनुपूरक (1) एससीसी 14 के निर्णय में भी यही बात कही गई है । पियारा सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1977) 4 एससीसी 452 के निर्णय का अवलाम्ब लेते हुए, इस न्यायालय ने मदन गोपाल कक्कड़ बनाम नवल दुबे, (1992) 3 एससीसी 204 में यह अभिनिर्धारित किया कि गैर-न्यायिक न्यायिकेतर संस्वीकृति , जो जबरदस्ती, पक्षपात के वादे या झूठी उम्मीद से प्राप्त नहीं किया गया हो और जो पूर्ण और स्वैच्छिक प्रकृति का हो, उसे बिना किसी पुष्टीकरण के भी दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है ।

28. आफताब अहमद अनासारी बनाम उत्तरांचल राज्य (2010) 2 एससीसी 583 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"52. यद्यपि न्यायालयों द्वारा गैर-न्यायिक न्यायिकेतर संस्वीकृति को कमजोर साक्ष्य माना जाता है, फिर भी न्यायालय पाता है कि ऐसा कोई विधिक या विवेकपूर्ण नियम नहीं है कि गैर-न्यायिक न्यायिकेतर संस्वीकृति पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि वह किसी अन्य विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थित न हो । गैर-न्यायिक न्यायिकेतर संस्वीकृति से संबंधित साक्ष्य पर तभी कार्रवाई की जा सकती है जब वह साक्ष्य किसी ऐसे गवाह के मुख से आया हो जो निष्पक्ष प्रतीत होता हो और जिसके बारे में दूर-दूर तक भी ऐसा कुछ न कहा गया हो जिससे यह संकेत मिले कि आरोपी को झूठा बयान देने के पीछे उसका कोई मकसद हो सकता है ।

53. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम. के. एंथोनी (1985) 1 एससीसी 505 के मामले में, इस न्यायालय ने गैर-न्यायिक न्यायिकेतर संस्वीकृति से संबंधित विधि की व्याख्या करते हुए निर्णय सुनाया कि यदि गवाह द्वारा बोले गए शब्द स्पष्ट, असंदिग्ध और निर्विवाद हैं, 1 जिससे यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त अपराध का कर्ता है और गवाह द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा गया है जो इसके विरुद्ध हो, तो गवाह के साक्ष्य की विश्वसनीयता की कसौटी पर कड़ी जांच करने के बाद, गैर-न्यायिक न्यायिकेतर संस्वीकृति को स्वीकार किया जा सकता है और यह दोषसिद्धि का आधार बन सकता है ।

इस न्यायालय के अनुसार, ऐसी स्थिति में, पुष्टि की तलाश करना ही साक्ष्य पर संदेह पैदा करता है और यदि गैर-न्यायिक न्यायिकेतर संस्वीकृति का साक्ष्य विश्वसनीय, भरोसेमंद और निंदा से परे है, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है और उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. अदालती कार्यवाही के बाहर दिए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति के संबंध में, तुलाराम (अ.सा. - 1) ने अभिसाक्ष्य दिया कि यह सच है कि पूछे जाने पर अपीलार्थी ने बताया कि उसने मृतक की कुल्हाड़ी से हत्या की थी और कुल्हाड़ी को आंगन में फेंक दिया था । उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि इसके बाद वह प्राथमिकी (प्रदर्श पी-18) दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना गया था ।

30. पुनाउराम (अ.सा. -2) ने भी न्यायिकेतर संस्वीकृति का समर्थन किया । भुवनेश्वर मानिकपुरी (अ.सा. -10) ने अभिसाक्ष्य दिया कि यह सच है कि अपीलार्थी ने कहा था कि उसने मृतका की हत्या इसलिए की क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करती थी । यह सच है कि अपीलार्थी ने तुलाराम (अ.सा. -1) और ग्रामीणों के सामने स्वीकार किया था कि उसने मृतका की हत्या कुल्हाड़ी से इसलिए की क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करती थी । जयसिंह कमर (अ.सा. -11) ने अभिसाक्ष्य दिया कि यह सच है कि अपीलार्थी घर के एक कमरे में बैठा था और बड़बड़ा रहा था कि मृतका उससे प्यार नहीं करती, इसलिए उसने कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी और कुल्हाड़ी को आंगन में फेंक दिया । फुलुराम कमर (अ.सा. -12) ने अभिसाक्ष्य दिया कि यह सच है कि अपीलार्थी घर के अंदर से बड़बड़ा रहा था कि मृतका उससे प्यार नहीं करती, इसलिए उसने कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी ।

31. डॉ. आर. के. त्रिपाठी (अ.सा. - 17) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने मृतक के शव का मृत्युसमीक्षा किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-13) दिया, जिसमें उन्होंने उपरोक्त चोटें पाईं और मृत्यु हत्या थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. उपरोक्त विधि के आलोक में, हमारा यह मत है कि दिनांक 28.03.2006 को अपीलार्थी ने तुलाराम (अ.सा. -1), पुनाराम (अ.सा. -2), कैलाश (अ.सा. -3), भुवनेश्वर मानिकपुरी (अ.सा. -10) और जयसिंह कमर (अ.सा. -11) के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति दिया था । तुलाराम (अ.सा. -1) अपीलार्थी का पुत्र है । उसका अपीलार्थी को झूठा फंसाने का कोई उद्देश्य नहीं था । अन्य गवाह स्वतंत्र गवाह हैं । उनके साक्ष्य स्वाभाविक, ठोस और विश्वसनीय हैं । इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के बाहर दिए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय है और दोषसिद्धि का आधार बन सकता है ।

33. उपरोक्त चर्चा का सार यह है कि अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त परिस्थितियों को संतोषजनक और निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया है । अपीलार्थी के पास मृतक की हत्या करने का उद्देश्य था । उपर्युक्त सिद्ध परिस्थितियों का समग्र प्रभाव अपीलार्थी के अपराध को स्थापित करने में निर्णायक है । परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला पूर्ण है और अपीलार्थी की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने का कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है ।

परिस्थितियों की श्रृंखला ऐसी है कि सभी मानवीय संभावनाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि मृतक की हत्या अपीलार्थी द्वारा ही की गई थी, किसी और द्वारा नहीं ।

34. अतः, न्यायालय को अपील में कोई सार नहीं मिलता और यह खारिज किए जाने योग्य है । तदनुसार, अपील निष्फ़ल है और इसे खारिज किया जाता है ।

सही /-	सही /-
सुनील कुमार सिन्हा	आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश	न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Translated By MS. SAKSHI BALI, ADV.